25-2-21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर।
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया
है कि वाद सं. 157 के अन्तर्गत 6446,6463 का मुद्दा
संख्या 5-12 किया गया है अतः 2/5 हिस्से के अलावा
अपने हिस्से में प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य नहीं
पूर्ण में निर्माण प्रकार कोई साधारण कार्य
अतः शादी है।
इसलिए वाद का फैसला अधिक समय तक नहीं
रोका जा सकता। पक्षकारों का अन्तिम बहस
होने के कारण, मुद्दे प्रार्थना पत्र
मुख्य वाद के साथ ही सुनवाई व फैसले की संभावना
कम है अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया
जाता है। पक्षकारगण मौखिक रूप से बहस करेंगे
पश्चात फैसला होगा।